न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 173/2019

राजेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री नानू राम जाति जाट साकिन 3 जे 11 जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राज०

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. जसवीर कौर पत्नि गुरचरण सिंह, जाति जट सिख, साकिन 4 एल एल, तहसील व जिला श्री गंगानगर राज०
2. गुरप्रगट सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जट सिख, साकिन 4 एल एल तहसील व जिला श्री गंगानगर राज०
3. गुरभेज सिहं पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जट सिख, साकिन 4 एल एल, तहसील व जिला श्री गंगानगर राज०
4. मिन्द्र कौर उर्फ भूपेन्द्र कौर पत्नि बलवीर सिंह जाति जट सिख साकिन ततारसर, तहसील व जिला श्री गंगानगर राज०
5. बलवीर सिंह पुत्र श्री अर्जन सिंह जाति जट सिख साकिन ततारसर, तहसील व जिला श्री गंगानगर राज०
6. जरनैल सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जट सिख साकिन ततारसर, तहसील व जिला श्री गंगानगर राज०
7. तहसीलदार (रेवन्यू), श्री गंगानगर राज०
8. श्याम लाल पुत्र पुजाराराम जाति अरोडा निवासी वार्ड न. 6, नजदीक श्रीराम बारात घर, शान्ति निकेतन स्कूल, कोडियों वाली पूली के पास, श्री गंगानगर, राज०
9. ओम प्रकाश पुत्र श्री नानूराम जाति जाट निवासी पुरानी आबादी, श्री गंगानगर राज०
10. कुलदीप कुमार पुत्र श्याम लाल जाति अरोडा निवासी वार्ड न. 06, पुरानी आबादी, राम बारात घर के सामने, श्री गंगानगर, राज०

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री भगत सिंह	प्रार्थी
2. श्री विक्रम बिश्नोई	अप्रार्थी–1 ता 5
3. श्री ओमप्रकाश बतरा	अप्रार्थी संख्या 8, 10

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.04.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम वाके चक 4 एल एल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मुरबा न0 33 व 34 मे कुल 6.1990 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। नकल जमाबंदी शामिल प्रार्थना पत्र हाजा है । प्रार्थी को अपने खेत मुरबा न0 34 के किला न० 1,2,3,4,5,10 में आने जाने के लिए कोई रास्ता मंजूर शुदा नही है । तथा मुरबा न0 34 के किला न0 21 से 25 मे स्वीकृत रास्ता चल रहा है, इसलिए मुरबा न0 34 के किला न0 11,20,21 में 1–1 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जावे तो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी आपने खेत में जा सकता है तथा यही रास्ता सुविधा जनक है। इसके अलावा प्रार्थी को आपने खेत में आने जाने के लिए और कोई रास्ता ना ही उपलब्ध है और ना ही मंजूर है । प्रार्थी को आपने पक्का खेत में आने जाने के लिए अन्य और कोई रास्ता ना होने की वजह से प्रार्थी को भारी परेशानी होती है तथा काश्त करने में भी भारी परेशानी होती है । प्रार्थी के सबसे नजदीक रास्ता मुरबा न0 34 के किला न0 11,20,21 में रास्ता नजदीक है तथा यही सुविधा जनक है। अब अप्रार्थीयान धमकीया दे रहे है कि जो रास्ता चल रहा है उसे बन्द कर देंगें अगर रास्ता बन्द हो गया तो प्रार्थी जमीन काश्त नही कर सकेगे। ऐसी सुरत में उपरोक्त रास्ता मंजूर किया जावे तथा प्रार्थी डी एल सी की जो राशि होगी वह जमा करवाने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है । प्रार्थना पत्र एक रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है । लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 261 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है कि चक 4 एल एल तहसील श्रीगंगानगर का मुरबा न0 34 के किला न0 11, 20, 21 प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 261 ए राज.काश्त. अधि. का जवाब पेश किया जिसमें अंकित तथ्यानुसार मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता चलना स्वीकार है, परन्तु मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 व 10 में कोई रास्ता मंजूर न होने का कथन गलत दर्ज किया है, जो स्वीकार नहीं है। मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 12/2 से 25 खाता संख्या 8 में संयुक्त खाता की भूमि है व मुरब्बा नम्बर 33, 34 के किला नम्बर 21 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 32, 33 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता स्वीकृत है और जो मौके पर चालू है । इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 33 व 34 की संयुक्त खाता की भूमि के लिए रास्ता पूर्व में ही स्वीकृत व उपलब्ध है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त खाता की भूमि के विभाजन से पूर्व रास्ता की मांग निराधार व गैर वाजिब है । प्रार्थी की भूमि के लिए रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 गलत होने से स्वीकार नही है। मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 11, 2021 मे से कोई रास्ता नहीं है। कुल तथ्य पूर्व में दर्ज किये जा चुके हैं। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 गलत होने से स्वीकार नही है। अप्रार्थीयान ने कभी प्रार्थी को धमकी नही दी और न रास्ता बंद करने का कहा, क्योंकि जब रास्ता है ही नहीं तो उसे बंद करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी ने डी एल सी की कहानी झूठी बनाई है। डी एल सी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी ने संयुक्त खाता के कुल हिस्सेदारान को पक्षकार नही बनाया है। ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र ना काबिल चलने व काबिले खारजी के है । प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 व 7 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त कथन– चक 4 एल एल के संयुक्त खाता संख्या 27 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 12/2 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 ता 25 मे कुल 7 हिस्सेदार है और इस खाता में प्रार्थी की केवल 3 बीघा भूमि है, जो अभी संयुक्त है और जिसका विभाजन होना है। प्रार्थी ने इस खाता के खातेदार ओम प्रकाश पुत्र नानूराम को पक्षकार नहीं बनाया है और जरनैल सिंह पुत्र अर्जन सिंह को बिना खातेदार पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र में असंयोजन व कुसंयोजन का दोष है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। मुरब्बा नम्बर 33 व 34 की भूमि संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

खाता की भूमि है और मुरब्बा नम्बर 33 व 34 के किला नम्बर 21 ता 25 में से रास्ता स्वीकृत है। मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता स्वीकृत होने से नया रास्ता स्वीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उत्तर प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 8 के द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार मु0 न0 33 के साथ चिपता हुआ मु० न0 32 प्रार्थी राजेन्द्र प्रकाश तथा उसके भाई ओमप्रकाश का संयुक्त खाता मे खातेदारी दर्ज है जमाबंदी की नकल शामिल है। मु० न0 33, 34 जो मुश्तरका खाता मे दर्ज है के बंटवारा के सम्बंध मे कोई डिक्री अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है इस प्रकार यह कहना गलत है कि प्रार्थी के कब्जा मे मु० न0 34 के किला न० 1,2,3,4,5,10 हो तथा इस रकबा के लिए कोई रास्ता ना हो। पटवारी हलका द्वारा जो रिपोर्ट व नक्शा भेजा गया है का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट है कि मु० न० 32 के किला न० 1,10,11,20,21 मे रास्ता स्वीकृतशुदा है व मु० न0 32 के किला न0 11 से 25 प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 9 का खातेदारी दर्ज है जमाबंदी की नकल भी शामिल है। मु0 न0 33 व 34 जब मुश्तरका खाता मे दर्ज है तो यह स्पष्ट है कि प्रार्थी मु० न0 32 के किला न० 1,10, 11, 20, 21 के रास्ता से होकर अपने मु0 न0 32 के किला न0 11 ता 25 मे प्रवेश करता है, मु0 न0 32 के किला न0 25 के साथ चिपता हुआ मु0न0 33 का रकबा भी मुश्तरका खाता मे दर्ज है, इस प्रकार प्रार्थी मु० न0 32 के किला न0 25 से मु० न0 33 के किला न0 5 मे प्रवेश करता है तथा इसके साथ लगते मु0 न0 34 के किला न० 1 में आ जाता है, इस प्रकार उसके पास पहले से ही अपनी ही भूमि मे रास्ता उपलब्ध है, अतः ना तो मु० न0 34 के किला न0 11,20,21 मे से रास्ता की आवश्यकता है तथा ना ही मु0 न0 31 के किला न0 21 मे से रास्ता की आवश्यकता है, मु0 न0 31 के किला न0 21 ता 25 मु0 न0 34 का किला न० 1 ता 5 लगता है व मु0 न0 34 के किला न० 1 ता 5 मे स्वीकृतशुदा खाल है जिसको पटवारी ने नक्शा मे दर्शाया हुआ है, इस प्रकार मु0 न0 31 के किला न0 21 में रास्ता स्वीकृत करने पर ना केवल प्रार्थी को नुकसान होगा बल्कि खाला पर पुलिया बनानी पडेगी जिस पर भारी खर्चा होगा अतः जब पहले से ही प्रार्थी को स्वयं के खर्चा पर रास्ता उपलब्ध है तो अन्य किसी रास्ता की आवश्यकता ही नही हो सकती है, इस प्रकार प्रार्थना पत्र जानबूझकर गलत तौर पर पेश किया है जो कि खारिज करने योग्य है, पटवारी हल्का ने भी उपरोत समस्त तथ्यो के सम्बंध मे जानबूझकर रिपोर्ट पेश नही है की. जबकि प्रार्थी से मिलीभगत कर गलत रिपोर्ट प्रेषित की है । मु0 न0 32 के किला न0 1,10, 11,20,21 मे पक्की सड़क चल रही है तथा मु० न0 32 का रकबा किला न0 11 ता 25 प्रार्थी व उसके भाई का है अतः इस पक्की सडक से मु० न0 32 के किला न0 25 तक आवागमन करने मे कोई कठिनाई है व मु० न० 32 के साथ चिपता हुआ मु0 न0 33 का किला न0 5 भी मुश्तरका खाता मे प्रार्थी के नाम दर्ज है जिससे होकर वह मु० न० 34 के किला न० 1 मे आसानी से प्रवेश कर रहा है अतः किसी रास्ता की आवश्यकता नही, इसके अलावा प्रार्थी ने मु0 न0 34 के किला न० 11,20,21 के रास्ता की मांग को स्वयं ही विड्रा कर लिया है। मु0 न0 32 के किला न0 21 मे कोई रास्ता नही चल रहा ना ही इस किला मे रास्ता की आवश्यकता है ना ही प्रार्थी ने रास्ता चलने का कथन किया है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने योग्य है क्योकि जानबूझकर सही तथ्यो को छुपाया गया है। अगर मु0 न0 33 का किला न0 5 प्रार्थी का ना भी हो तो जिसके कब्जा मे हो उससे रास्ता लिया जा सकता है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

जो कि सुविधाजनक होगा क्योंकि खाला पर पुलिया बनाने की आवश्यकता नही रहेगी। मु0 न0 33 भी मुश्तरका खाता मे होने का कथन स्वयं प्रार्थी ने ही किया है अतः मु० न0 33 के हर इंच पर उसका हक व अधिकार है अतः मु० न0 33 के किला न0 5 मे भी अधिकार होने से मु० न0 34 के लिए अन्य रास्ता की आवश्यकता ही नहीं है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 9 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी संख्या 9 बंद किया गया।

अप्रार्थी संख्या 10 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार मुरब्बा नं 33 व 34 संयुक्त खाता है, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है इसलिए इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थी के नाम मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 1, 2, 3, 4, 5 व 10 रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक उपरोक्त रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज नही हो जाता, तब तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है बल्कि मुरब्बा नं 34 का पूर्व में ही रास्ता चल रहा है इसलिए नया रास्ता मन्जूर करने की आवश्यकता नहीं है तथा पूर्व में ही मुरब्बा नं 34 से किला नं 21, 22, 23, 24, 25, में रास्ता मन्जूर है, जो मौके पर चल रहा है जिससे प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रार्थी मुरब्बा नं 33 व 34 किला नं 21, 20, 11, में पूर्व मे रास्ता चल रहा है तथा किला नं 1 व 10 प्रार्थी का खुद का है तथा बाकी रकबा प्रार्थी के रिश्तेदारो का है इसलिए मुरब्बा नं 31, में किला नं 21 में सरकारी खाला बना हुआ है तथा वहां पर सरकारी नाका है, जिस पर कानूनन रास्ता मन्जूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रार्थी को जाने के लिए पूर्व में रास्ता उपलब्ध है इसलिए नया रास्ता अप्रार्थी के रकबा में स्वीकार नही किया जा सकता। मुरब्बा नं 34 में किला नं 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत किया जावे, जिससे अप्रार्थी को कोई एतराज नही है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई धमकी नही दी गई केवल केस को बनाने के लिए गलत दर्ज किया गया है। उजरात मजीद– अप्रार्थी के पास केवल मुरब्बा नं 31 के किला नं 21, 22, 23 केवल 3 बीघा रकबा है तो लघु श्रेणी में आता है इसलिए भी अप्रार्थी के रकबा पर रास्ता मन्जूर नहीं किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा जो अपने प्रार्थना पत्र में खुद इस बात को माना है कि मुरब्बा नं 34 के किला नं 11, 20, 21 में एक–एक बिस्वा रास्ता मन्जूर किया जावे, जबकि मुरब्बा नं 34 में अप्रार्थी का कोई रकबा नही है, अप्रार्थी को गलत पक्षकार बनाया गया है इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज हे कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के रकबा की हद तक खारिज किया जावे तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

–:: आदेश ::–

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. के तथ्यों को दोहराते हुए चक 4 एल एल तहसील श्रीगंगानगर का मुरबा न0 34 के किला न0 11, 20, 21 प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया। **वकील अप्रार्थीगण की जवाब बहस यह रही कि** मुरब्बा नं 33 व 34 संयुक्त खाता है, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है

Scanned with CamScanner

इसलिए इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थी के नाम मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 1, 2, 3, 4, 5 व 10 रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक उपरोक्त रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज नही हो जाता, तब तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं जमाबंदीयों एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोक किया गया। प्रार्थी द्वारा जिस आराजी में से रास्ता चाहा गया है वह संयुक्त खाता की आराजी है जिसकी प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार होता है। प्रार्थी के द्वारा मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 1, 2, 3, 4, 5 व 10 के लिए रास्ता स्वीकृत किये जाने की मांग की गई वह रकबा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 11, 20, 21 में से अपने रकबा में आना जाना करता है। इससे प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थी रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता के बिन्दु को साबित करने में विफल रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर. टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner